

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़(छ0ग0)

-: आदेश :-

क्रमांक 12652 /न्या.लि./2020

रायगढ़, दिनांक 30-08-2020

कोरोना वायरस संक्रमण के मामले के बढ़ने के दृष्टिगत छ0ग0शासन द्वारा स्वास्थ्य के दृष्टिगत COVID-19 के पीड़ित/संदेही से संपर्क/दूर रहने एवं इससे बचने के सभी प्रकार के संभावित उपायों को अमल में लाने एवं COVID-19 के संभाव्य प्रसार के नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 30 मई 2020 एवं छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 288/स.सा.प्र.वि./2020, रायपुर दिनांक 31-05-2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 357/स0सा0प्र0वि0/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18-07-2020 में दिये गये निर्देश/गार्ड लाईन/एडवायजरी के अनुक्रम में जिला रायगढ़ के नगर पालिका परिषद खरसिया के नगरीय सीमा क्षेत्र में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 12389/न्या.लि./कोरोना सेल/2020 दिनांक 24.08.2020 के द्वारा छूट प्राप्त गतिविधियों का समय निर्धारित किया गया है, जो दिनांक 31.08.2020 तक लागू है, में वृद्धि करते हुये दिनांक 07.09.2020 तक लागू किया जाता है एवं छूट प्राप्त गतिविधियों के संचालन का समय प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है।

यह आदेश दिनांक 31.08.2020 को रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 07.09.2020 को रात्रि 11.59 बजे तक प्रभावशील रहेगा ।

(भीम सिंह)

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 12652-A /न्या.लि./2020

रायगढ़, दिनांक 30-08-2020



प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
- 2- सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
- 3- सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
- 4- सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन,
- 5- आयुक्त, बिलासपुर सभाग, बिलासपुर
- 6- पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर
—की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 7- पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
- 9- मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 10- आयुक्त, नगर पालिका निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11- सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 12- उप संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 13- सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 14- सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

....2...

....2....

- 15- सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 16- सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 17- सर्व थाना प्रभारी, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 18- समस्त प्रबंधक/संचालक औद्योगिक संस्थान/कारखाना जिला रायगढ़(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।


कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
 रायगढ़ (छ.ग.)